फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री प्रशान्तसिंह निवासी 1बी 98, हाउसिंग बोर्ड मानपुर, आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 57 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 को देकर निवेदन किया है कि परिवादी श्री ताराचंद परिहार पुत्र श्री हरीलाल निवासी तरतोली, आबूरोड द्वारा उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय आबूरोड में 01.07.2025 से 10.08.2025 की अवधि में ई–मेल या अन्य किसी माध्यम से श्री प्रशान्तसिंह व अन्य के नाम से प्रेषित सभी परिवादों की प्रमाणित प्रति एवं उक्त परिवादों के आधार पर रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन, टिप्पणी या निष्कर्षो की प्रमाणित प्रति तथा प्रत्येक दस्तावेज / रिपोर्ट की प्राप्ति दिनांक, संदर्भ संख्या एवं सम्बन्धित अधिकारी के नाम से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 को देकर निवेदन किया है कि परिवादी श्री ताराचंद परिहार पुत्र श्री हरीलाल निवासी तरतोली, आबूरोड द्वारा उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय आबूरोड में 01.07.2025 से 10.08.2025 की अवधि में ई–मेल या अन्य किसी माध्यम से श्री प्रशान्तसिंह व अन्य के नाम से प्रेषित सभी परिवादों की प्रमाणित प्रति एवं उक्त परिवादों के आधार पर रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन, टिप्पणी या निष्कर्षो की प्रमाणित प्रति तथा प्रत्येक दस्तावेज / रिपोर्ट की प्राप्ति दिनांक, संदर्भ संख्या एवं सम्बन्धित अधिकारी के नाम से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	